

IMMEDIATE



राजस्थान सरकार

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज विभाग)

क्र0एफ.4(3)दिशा-निर्देश / विधि / पंरा / 2024 /

दिनांक :

मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
ज़िला परिषद्, समस्त।

विषय :- ग्राम पंचायत द्वारा पट्टा जारी करने बाबत।

राज्य सरकार के ध्यान में लाया गया है कि कतिपय ग्राम पंचायतों में प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण की पात्रता/वरीयता सूची में सम्मिलित परिवारों को आबादी भूमि का पट्टा आवंटित नहीं हो पा रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना राज्य सरकार की प्लैगशिप योजनाओं में शामिल है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण की पात्रता/वरीयता सूची में शामिल समस्त परिवारों को निर्धारित प्रक्रिया अपनाते हुए नियमानुसार भूमि/पट्टे आवश्यक रूप से आवंटित किया जाना सुनिश्चित करावें।

(रवि जैन)
शासन सचिव एवं आयुक्त

प्रतिलिपि:-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, पंचायती राज विभाग।
2. निजी सचिव, माननीय राज्यमंत्री महोदय, पंचायती राज विभाग।
3. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रा0वि0 एवं प0 राज, जयपुर।
4. निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज विभाग, जयपुर।
5. समस्त अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, ज़िला परिषद्, राजस्थान।
6. समस्त विकास अधिकारी, पंचायत समिति, राजस्थान।
7. ए0सी0पी0 पंचायती राज को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु।

उपायुक्त एवं
शासन उप सचिव(प्रथम)

RajKaj Ref
5568481

